

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2003 (चैत्र 5, 1925)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा-13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002; तथा

(ख) मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा-15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-2-2003-ई-चार, दिनांक 6 मार्च, 2003, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग संरक्षण मंत्री, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री हरवेश सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को शासन के निर्णय अनुसार शिक्षण शुल्क में छूट न दिये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर आवर्धन जल प्रदाय योजना से सिंचाई हेतु नहरें निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री बृजबिहारी पटेरिया (गुड्डा भैया), सभापति, प्राक्कलम समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का बांसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(4) श्री राजनारायण सिंह, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है."

